



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ



प्रो. गोपाल कृष्ण ठाकुर / Prof. Gopal Krishna Thakur
अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ / Dean, School of Education
अध्यक्ष, शिक्षा विभाग / Head, Department of Education

ईमेल: soemgahv@hindivishwa.ac.in
पत्रांक: 066/SoE/PhD/2026/02/29
दिनांक: 03.02.2026

कार्यालय आदेश

शिक्षा विभाग के अध्ययन मंडल की दिनांक 17.07.2025 को आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में एवं सक्षम निकायों के अनुमोदनोपरांत शिक्षा विभाग के निम्नलिखित पी-एच.डी. शोधार्थी को पुनर्पंजीकरण (Re-registration) की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	शोधार्थी का नाम एवं पंजीकरण संख्या	सत्र	शोध विषय	शोध निर्देशक
1	प्रमोद कुमार 2020/06/316/002	2020-21	शिक्षा एवं सामाजिक समावेशन: किन्नर समुदाय का एक अध्ययन	डॉ. भरत कुमार पंडा

पुनर्पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर शोधार्थी को अनिवार्यतः अपना शोध-प्रबंध प्रस्तुत करना होगा।

(अधिष्ठाता)

प्रति: (ई-मेल द्वारा): सबंधित शोधार्थी एवं शोध निर्देशक

प्रतिलिपि:

- कुलपति कार्यालय
- कुलसविव कार्यालय
- वित्त विभाग
- परीक्षा विभाग एवं प्रवेश प्रकोष्ठ
- अकादमिक विभाग
- रक्षित पत्रावली

डाकघर: हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र), भारत

Post Office: Hindi Vishwavidyalaya, Wardha – 442001 (Maharashtra), India

Website: www.hindivishwa.org